



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 39

13 कार्तिक 1942 (श०)
पटना, बुधवार, —————
4 नवम्बर 2020 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि।	भाग-9-विज्ञापन
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4-बिहार अधिनियम	पूरक
	पूरक-क

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

**Home Department
(Police Branch)**

NOTIFICATION

The 28th October 2020

No. 7/CCA-1026/2001 H(P)-7616--Consequent upon superannuation of Hon'ble Mr. Justice Mr. Dinesh Kumar Singh, Patna High Court, who was Chairman of the Advisory Board, it is expedient to re-constitute the Advisory Board for the under mentioned Acts :

1. Bihar Control of Crimes Act, 1981
2. National Security Act, 1980
3. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 and
4. Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the provision of the above Acts, the State Government is pleased to reconstitute the Advisory Board for above mentioned Acts as follows :

Hon'ble Mr. Justice Shri Hemant Kumar Srivastava	Chairman
Hon'ble Mr. Justice Shri Aditya Narayan Chaturvedi (Retd.)	Member
Hon'ble Justice Smt. Rekha Kumari (Retd.)	Member

The reconstitution will come into effect with the issue of the notification

By the order of the Governor of Bihar,
Girish Mohan Thakur, Under Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 27-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट का पूरक (अ0) प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 2/आरोप-01-03/2020-सा0प्र0-9092

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

30 सितम्बर 2020

श्री जैनेन्द्र कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 582/11, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना के विरुद्ध कार्यों के प्रति गंभीरतापूर्वक रुची नहीं लेने, विभागीय निदेशों एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेश की घोर अवहेलना करने, जन प्रतिनिधियों द्वारा संज्ञान में लाये गये समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करने, कार्यों के प्रति उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं कर्तव्यहीनता बरतने तथा बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करने संबंधित आरोपों के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 455 दिनांक 25.01.2020 द्वारा गठित आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' विभाग को उपलब्ध करवाया गया। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त आरोप-पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप-पत्र गठित किया गया।

विभागीय पत्रांक 2980 दिनांक 26.02.2020 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप-पत्र में अन्तर्विष्ट आरोपों पर स्पष्टीकरण की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार के पत्रांक 306/अनु0 दिनांक 20.03.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप-पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी (जो उक्त मामले के जानकार हों) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी (जो उक्त मामले के जानकार हों) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करेंगे। नियुक्ति की सूचना संचालन पदाधिकारी संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को देंगे।

श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

सं० पुर०-02/2020-21--281/रा०
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

संकल्प

7 अगस्त 2020

हिन्दी पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना, वर्ष 2020-21 के अधीन प्रकाशन अनुदान के निमित्त विभिन्न लेखकों की पांडुलिपियों के मूल्यांकन तथा प्रकाशन अनुदान की अनुशंसा के लिए निम्नरूप में एक समिति गठित की जाती है:-

- | | | | |
|----|--|---|------------|
| 1. | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | — | अध्यक्ष |
| 2. | श्री जियालाल आर्य,
23, आई.ए.एस. कॉलोनी, किदवईपुरी, पटना-800001
मो०-7979771265 | — | सदस्य |
| 3. | डॉ० किशोर सिन्हा,
5-डी., तेजनारायण कॉम्प्लेक्स,
न्यू अगमकुआँ थाना के निकट, नंदलाल छपरा,
बाइपास रोड, पटना-800026
मो०-9973129720 | — | सदस्य |
| 4. | निदेशक, राजभाषा | — | सदस्य सचिव |

2. यह समिति प्रकाशन अनुदान हेतु प्राप्त पांडुलिपियों का चयन गुणवत्ता के आधार पर करते हुए अपनी अनुशंसा सरकार को देगी।

3. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी विभाग एवं विभागाध्यक्षों को भेजा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० महेन्द्र पाल, निदेशक।

सं० पुर०-03/2015-340/रा०
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

संकल्प

२२ सितम्बर २०२०

विषय:-मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग की हिन्दी साहित्य सेवी सम्मान एवं पुरस्कार योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्णायक मंडल का गठन।

मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग की हिन्दी साहित्य सेवी सम्मान एवं पुरस्कार योजना के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा पुरस्कार नियमावली, 2005 के अधीन निम्न रूप से निर्णायक मंडल का गठन किया जाता है :-

(क) अध्यक्ष-

श्री माधव कौशिक,
मकान नं.-1110, सेक्टर-41बी,
चंडीगढ़-160036
फोन-0172-2636992, 09888535393

(ख) सदस्यगण:-

(1)

प्रधान सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग।

- (2) **श्रीमती नासिया शर्मा,**
डी-37/754,
छतरपुर पहाड़ी, नई दिल्ली-110074
- (3) **डॉ० कमल किशोर गोयनका,**
ए/98, अशोक विहार, फेज-I,
दिल्ली-110052,
मो०-09811052469
- (4) **डॉ० अनामिका,**
डी०-115, द्वितीय तल,
मंदिर मार्ग, साकेत,
नई दिल्ली-110017,
मो०-9810737469
- (5) **श्री विनोद बंधु,**
स्थानीय संपादक, हिन्दुस्तान,
बुद्ध मार्ग, पटना-800001
- (6) **डॉ० शांति जैन,**
401, गिरि अपार्टमेंट,
पूर्वी लोहानीपुर, पृथ्वीराज पथ, पटना-800003,
मो०-9934271562, 9835261917

(ग) संयोजक:-

निदेशक,

मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग।

2. निर्णायक मंडल का कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए दो वर्षों का होगा।
3. निर्णायक मंडल का कोरम अध्यक्ष सहित चार होगा।
4. आदेश:-आदेश दिया जाता है कि जनसाधारण की जानकारी हेतु इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रति अध्यक्ष और सभी माननीय सदस्यों को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 27-571+25-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>